स्थापना वर्ष-2015

राजपती माता प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सम्बद्ध : सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु-सिद्धार्थनगर

गौरा, कलवारी, बस्ती-272301 (उ0प्र0)

नियमावली एवं निर्देशिका

संदेश

राजपती माता प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गौरा, कलवारी, बस्ती अब अपने विकास क्रम के सप्तम शिक्षा सत्र में प्रविष्ट हो चुका है। इसकी स्थापना की अन्तः प्रेरणा के दो मुख्य पक्ष हमारे मन-मस्तिष्क में क्रियाशील रहे हैं। पहला तो यह कि अपने पूज्य माता-पिता की प्रेरणा से कोई ऐसा स्थायी महत्व का कार्य किया जाये, जो लोक सेवा का आदर्श बन सके। उनकी कर्मस्थली तथा अपनी भी मातृ स्वरूपा जन्मभूमि को शिक्षा व्यवस्था और ज्ञानार्जन के केन्द्र के रूप में यथासामर्थ्य विकसित करने की अभिलाषा से बढ़कर और कोई लक्ष्य हो नही सकता था। दूसरी बात सोच-विचार मे यह आयी कि बालिकाओं की शिक्षा की यहाँ ऐसी सोचनीय दशा थी कि बेसिक शिक्षा और कुछ सीमा तक माध्यमिक शिक्षा तक ही उन्हें आगे बढ़ाने में अभिभावकों का संकल्प सीमित रह जाता था, उच्च शिक्षा का अवसर यहाँ अभी कुछ वर्ष पहले तक दुर्लभ ही बना रहा। इस अभाव की पूर्ति का अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प सामने आ सके, इस उद्देश्य से इस शिक्षा केन्द्र के स्वरूप को बालिकाओं की शिक्षा पर केन्द्रित किया गया है।

प्रदेश के बस्ती जनपद का यह गौरा, कलवारी क्षेत्र, जहाँ यह महाविद्यालय स्थित है, पुण्य सलिला सरयू के उत्तरी तटवर्ती अंचल में है। जनपद मुख्यालय से इसकी दूरी 20 कि.मी. है। सेतु मार्ग से यह क्षेत्र अम्बेडकर नगर जिले के टाण्डा क्षेत्र से जुड़ा है। भारत के गौरवशाली इतिहास में बस्ती जनपद की कीर्ति तथागत गौतमबुद्ध तथा महान संतकबीर की साधना भूमि होने के नाते सुविदित है। ऐसे विराट एवं परम पावन भू-भाग के किसी अंचल में शिक्षा सेवा का एक लघु प्रयास कर पाना हमारे लिए आत्मगौरव का विषय है।

अपने महाविद्यालय परिवार से जो आज जुड़े है और जो भविष्य मे जुड़ेंगे, उनसे अपनी अंतरात्मा की आवाज मान कर हम यह कहना चाहेंगे कि आकर्षक प्राप्तांक तथा प्रशंसनीय श्रेणी के लिए ऐसा तिकड़मी सोच-विचार कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, जो शिक्षा की गुणवत्ता को कलंकित करे। यह बात विशेष रूप से विद्यार्थियों तथा अभिभावकों से कहनी है कि वे ऐसी शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर बनें जो प्रतिभा और व्यक्तित्व का विकास करे और महाविद्यालय की पहचान बने।

आप सभी के सहयोग एवं सानिध्य की हमेशा आवश्यकता बनी रहेगी।

सादर !

डॉ. एफ.डी. यादव
संस्थापक एवं प्रबन्धक

अनुशासन

अनुशासनबद्ध होकर अध्ययन करना ही शिक्षा की सर्वोत्तम उपलब्धि तथा उन्नति का मूलमंत्र है। महाविद्यालय का ध्येय है कि हमारी छात्राएं अनुशासित जीवन के आदर्श के लिए प्रतिबद्ध रहें तथा समस्त छोटे एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर अन्य महाविद्यालय तथा भावी छात्र/छात्राओं के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करें।

छात्राएं निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें :-

1. महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति शिष्ट व्यवहार करें।
2. महाविद्यालय में पंजीकृत समस्त छात्राओं का प्रतिदिन निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म) में आना आवश्यक है, इस नियम में शिथिलता को अनुशासनहीनता माना जायेगा।
3. दुर्व्यवहार या उद्दण्डता के आरोप को गुरुता के अनुरूप अर्थदण्ड, निलम्बन तथा निष्कासन का दण्ड प्राचार्य द्वारा दिया जा सकता है।
4. महाविद्यालय प्रांगण में किसी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र लाना वर्जित एवं दण्डनीय है।
5. महाविद्यालय की दीवारों एवं फर्नीचरों को गंदा या तोड़-फोड़ न करें। ऐसा करने वाली छात्राओं का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
6. पुस्तकालय की पुस्तकों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचायें। ऐसा करने पर पुस्तक के मूल्य के साथ-साथ अतिरिक्त अर्थदण्ड भी देय होगा।
7. महाविद्यालय में एक साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था की गयी है। छात्राएं साइकिल आदि स्टैण्ड पर ही खड़ी करें। इधर-उधर साइकिल खड़ी करना अनुशासनहीनता माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए सभी प्राध्यापक अधिकृत हैं। इसीलिए उपर्युक्त सभी धाराओं के अन्तर्गत किसी भी छात्रा को निर्देश देकर दण्डित किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल से बात करना सख्त मना है।

प्रवेश के नियम

1. स्नातक एवं प्रथम स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे एवं उसे पूर्णरूप से भरकर अपेक्षित संलग्नकों सहित सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करेंगे।
2. परिचय-पत्र के साथ एक रंगीन फोटो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें।
3. प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्र अवश्य लगायें। हाईस्कूल का अंकपत्र, सहप्रमाण-पत्र इण्टरमीडिएट का अंकपत्र, सहप्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग) की दो-दो छायाप्रति तथा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति व आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं अभ्यर्थी की 2 पासपोर्ट साइज फोटो फार्म के साथ संलग्न करें।
4. प्रवेशार्थी प्रवेश प्रार्थना-पत्र जमा करने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करेंगे।
5. बी.ए./बी.एस-सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं के प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश आवेदन-पत्र क्रय करके, फोटो लगाकर फार्म पूरित कर हाईस्कूल अंकपत्र, सह प्रमाण-पत्र, इण्टरमीडिएट अंकपत्र, प्रमाण-पत्र, जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र की एक-एक छायाप्रति, 2 पासपोर्ट फोटो संलग्न कर निर्धारित शुल्क सहित कार्यालय में जमा करें।
6. सामान्य वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र नहीं जमा करना है।

महाविद्यालय के नियम और सामान्य सूचनायें

महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 01 जुलाई से प्रारम्भ होगा।

प्रवेश संबन्धित दिशा-निर्देश :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित, यह नए नियम सत्र 2022-23 में स्नातक प्रथम वर्ष (बी0ए0/बी0एससी0) में प्रवेशित छात्राओं के लिए लागू होंगे । सत्र 2021-22 एवं उससे पूर्व से महाविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्र/छात्राओं (बी0ए0/बी0एससी0) द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा एम0ए0/एम0एससी0 पर यह नियम उनके उपाधि प्राप्त करने तक लागू नहीं होंगे ।
2. (i) छात्र को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय महाविद्यालय में उपलब्ध निम्न तीनों संकाय में से किसी एक का चयन, इण्टरमीडिएट के विषय वर्ग के अनुसार करना होगा ।

भाषा संकाय (Faculty of Language)	कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय (Faculty of Arts, Humanities & Social Science)	विज्ञान संकाय (Faculty of Science)
विषय 1. अंग्रेजी (English)	विषय 1. राजनीति शास्त्र (Political Science)	विषय 1. वनस्पति विज्ञान (Botany)
2. हिन्दी (Hindi)	2. भूगोल (Geography)	2. प्राणि विज्ञान (Zoology)
3. संस्कृत (Sanskrit)	3. समाजशास्त्र (Sociology)	3. रसायन विज्ञान (Chemistry)
	4. गृह विज्ञान (Home Science)	4. भौतिक विज्ञान (Physics)
		5. गणित (Maths)

(ii) स्नातकोत्तर कला संकाय के अन्तर्गत निम्न विषयों में शिक्षण कार्य संचालित हैं।
एम0ए0- हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान
(iii) स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्न विषयों में शिक्षण कार्य संचालित हैं।
एम0एससी- वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भौतिक विज्ञान
(iii) बी0एड0 (100 सीट)

3. चयनित संकाय को छात्रा का अपना संकाय (own faculty) कहा जायेगा । चुने हुए संकाय से प्रवेशित छात्रा को दो मुख्य विषय (First and Second Main Subjects) का चयन करना होगा ।
4. एक तृतीय मुख्य विषय (Third main subject) का भी छात्रा को चयन करना होगा, जो कि उसके द्वारा पूर्व में चयनित संकाय (own Faculty) या किसी अन्य संकाय (other Faculty) से भी हो सकता है ।
5. इस प्रकार विद्यार्थी को कुल 3 मुख्य विषयों का चयन करना है जिसमें से कम से कम दो मुख्य विषयों का चयन किसी एक संकाय से होगा
6. तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक सहायक माइनर विषय (Minor Elective Subject) का भी अध्ययन करना है इस विषय का चुनाव उसे अपने चुने हुए संकाय (own faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से करना है ।
नोट-तृतीय मुख्य विषय (Third main subject) अथवा सहायक माइनर विषय (Minor Elective Subject) में से किसी एक का चयन, अनिवार्य रूप से छात्राओं द्वारा उसके चयनित संकाय (own faculty) से अन्य संकाय (Other Faculty) से होना आवश्यक है ।
7. सहायक माइनर विषय (Minor Elective Subject) का चुनाव महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों के पेपर में से ही किया जाएगा ।
8. स्नातक के विद्यार्थी को सहायक माइनर विषय (Minor Elective Subject) का अध्ययन केवल प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में ही करना है (एक माइनर विषय पेपर प्रति वर्ष) विद्यार्थी को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर विषय चयनित करने की स्वतंत्रता होगी ।
9. यदि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में सहायक माइनर विषय का चयन करता है तो उसे चयनित माइनर विषय की परीक्षा प्रथम सेमेस्टर में ही देनी होगी। परन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर में माइनर विषय चयनित करता है तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी । यही व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी ।
10. विद्यार्थी यदि प्रथम सेमेस्टर में चयनित माइनर विषय की परीक्षा छोड़ देता है अथवा उसमें फेल हो जाने के बाद किसी दूसरे विषय को माइनर विषय के रूप में लेना चाहता है तो यह द्वितीय सेमेस्टर में ऐसा कर सकता है ।
11. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टरों) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3x4=12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/skill development course) पूर्ण करना होगा ।

रोजगार-परक / कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/skill development course)

Subject : Crop Production & Management

विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक प्रशिक्षण (Vocational Course) पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा ।

12. स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टरों) के प्रत्येक में पूर्वनिर्धारित एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) भी करना अनिवार्य है ।

अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular)

1.	प्रथम सेमेस्टर	खाद्य पोषण एवं स्वच्छता (Food Nutrition and Hygine)
2.	द्वितीय सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
3.	तृतीय सेमेस्टर	मानक मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human values and Environment Studies)
4.	चतुर्थ सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
5.	पंचम सेमेस्टर	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytical ability and Degital awareness)
6.	षष्ठम् सेमेस्टर	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication skill and Personality development)

13. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी। जिसे उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक सह-पाठ्यक्रम की परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है ।

14. विद्यार्थी के ग्रेडशीट पर सह-पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्राप्त अंको पर आधारित ग्रेड अंकित होगा, परन्तु उन्हें Cumulative grade point average (CGPA) की गणना में सम्मिलित नही किया जायेगा ।

नोट :-

(क) यदि कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छिपाकर विश्वविद्यालय के मान्य नियमों के विपरीत प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो सही जानकारी प्राप्त होते ही उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा, जिसके बदले उसे महाविद्यालय की तरफ से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संभव नहीं हो सकेगी।

(ख) विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी आवेदन-पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकृत किया जा सकता है। प्रवेश के इन नियमों में शासन अथवा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कभी भी परिवर्तन किये जा सकते हैं।

(ग) प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देते समय यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों, अंकपत्रों तथा फोटो आदि को संलग्न करना अत्यन्त आवश्यक है। इनमें से किसी एक के भी अभाव में प्रवेश प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। यह ध्यान रखें कि अपने प्रमाण-पत्र की केवल छायाप्रति ही संलग्न करें। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है, जिसके अभाव में प्रवेश नहीं हो सकेगा। अंकपत्र की मूल प्रति न लगायें, किन्तु मूल प्रतियों को प्रवेश के समय जांच हेतु अवश्य लावें।

शुल्क

1. महाविद्यालय में विभिन्न विषयों की स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
2. प्रयोगात्मक विषयों का चुनाव छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रयोगात्मक शुल्क एवं प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क देय होगा।

परीक्षा व्यवस्था एवं क्रेडिट निर्धारण

1. क्रेडिट निर्धारण संबंधी समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट'' के माध्यम के किए जाएंगे। जिसके दिशा-निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
2. सभी विषयों की सेमेस्टर आधारित लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पी आधार पर होगी।
3. सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के आधार पर परसेंटाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जाएगा।
4. सभी विषयों की परीक्षा के 100 अंकों में से 25 अंकों के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिए वाह्य मूल्यांकन आधारित प्रणाली लागू होगी।
5. 25 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन में 5 अंकों का निर्धारण विद्यार्थी का कक्षा में उपस्थिति तथा कार्य व्यवहार आदि के आधार पर होगा। जबकि शेष 20 अंकों हेतु 10 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 10 अंकों का असाइनमेंट / प्रयोगात्मक कार्य होगा।
6. क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
7. परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
8. विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा, तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 ले सकता है।
9. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उसके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्रा एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट खर्च माने जाएंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट महाविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा। जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है, तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
10. तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी, और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा उपलबध होगी।
11. यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्राता (Pre-requisite) का आवश्यकता नहीं होगी, सामान्यता इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
12. यदि कोई योग्य छात्रा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

पुस्तकालय

1. महाविद्यालय में एक व्यवस्थित पुस्तकालय भी है, जिसका संचालन प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है।
2. छात्राएं पुस्तकालय में अध्ययन नियमित रूप से प्रत्येक कार्य दिवस में कर सकती हैं।
3. प्रत्येक छात्रा पुस्तकों को स्वच्छ एवं साथ-सुथरा रखने पर विशेष ध्यान दें।
4. जिन विद्यार्थियों से पुस्तक खो जाती है उनके द्वारा पुस्तक का वर्तमान मूल्य एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड दोनों देय होगा।

क्रीड़ा

1. महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों की व्यवस्था है। जैसे-बास्केट बाल, वॉलीबाल, बैडमिन्टन आदि खेलों की व्यवस्था महाविद्यालय प्रांगण में की गयी है।
2. खेलकूद की सुनियोजित व्यवस्था क्रीड़ाध्यक्ष की देख-रेख में होती है और इसे सुनियोजित रूप से चलाने के लिए एक समिति है, जिसके सदस्य प्राध्यापिकाओं के साथ-साथ खेलकूद में भाग लेने वाली कुछ निश्चित छात्राएं भी होती हैं।

छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित निम्नलिखित जातियों/वर्गों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है :-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को अनिवार्य रूप से प्रदान की जायेगी, जिनके परिवार की आर्थिक आय 2 लाख रूपये से कम हो।
2. पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आने वाली उन सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो क्रीमीलेयर के अनतर्गत नहीं आती और जिनके परिवार की आर्थिक आय 2 लाख रूपये से कम है।
3. सामान्य वर्ग की उन छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हैं या उनकी अथवा उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) छात्राओं को भी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
4. अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत सरकार की अन्य संस्थाओं द्वारा भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

प्रतिभा सम्मान समारोह

महाविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाता है। पिछली कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं प्रतिभा सम्मान में भाग लेने के लिए अर्ह हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन की सूचना सूचनापट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।

चरित्र प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय की नियमित छात्राओं को चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित निश्चित शुल्क देय होगा।

महत्वपूर्ण सूचनायें

1. नियमावली के सभी अंश भली-भांति पढ़ लें तथा पूर्ण सहमति के बाद ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें।
2. महाविद्यालय परिवार के किसी सदस्य के प्रति अभद्र व्यवहार के आरोपी, परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के दोषी अथवा किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधि में संलग्न अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश सम्भव नहीं होगा।
3. प्राचार्य द्वारा घोषित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
4. आन्तरिक प्रशासन के हित में किसी भी छात्रा को प्रवेश देने या न देने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य में सन्निहित है। अतः प्राचार्य द्वारा किसी भी छात्रा को महाविद्यालय के हित में बिना कारण बताये किसी भी समय निष्कासित किया जा सकता है।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के पूर्व अदेयता प्रमाण-पत्र (नोड्यूज) लेना अनिवार्य है। अदेयता प्रमाण-पत्र हेतु कालेज की सभी देय राशि का भुगतान करना होगा तथा पुस्तकें लौटानी होगी।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र समय पर भरकर जमा करने का दायित्व सम्बन्धित छात्रा का है। किसी कारणवश परीक्षा आवेदन-पत्र भरने से वंचित छात्रा परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगी।
7. प्रवेश के पश्चात् मध्य सत्र में महाविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्रा समस्त देयों का भुगतान करके स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकती है।
8. अवांछित तत्वों से महाविद्यालय को मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि महाविद्यालय परिसर में अपना परिचय-पत्र अपने साथ रखें।
9. परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विश्विद्यालय से अंकपत्र आने पर परीक्षा प्रवेश-पत्र दिखाने पर ही अंकपत्र प्राप्त होंगे।
10. विलम्ब शुल्क से बचने के लिए आवश्यक है कि निर्देशित समय के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्र जमा कर दें।

सम्बद्ध संस्थान

आर.एम. कालेज आफ फार्मेसी

डी. फार्मा (द्विवर्षीय)

आर.एम. कालेज आफ पैरामेडिकल साइंसेज एण्ड नर्सिंग

ए.एन.एम. (द्विवर्षीय)

गौरा, कलवारी, बस्ती-272301 (उ0प्र0)

अध्ययन केन्द्र : S-1213

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

(उ0प्र0 सरकार का एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय : स्थापना वर्ष-1999
शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज-211021

महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ

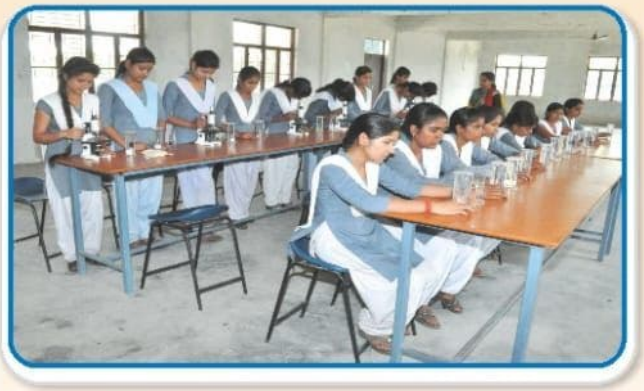

प्रबन्धक जी का बैंकाक (थाईलैण्ड) में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग की एक झलक

डॉ0 फौजदार यादव, प्रबन्धक जेप्रा इंडिया द्वारा भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्ड मेडल से सम्मानित

राजपती माता प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सम्बद्ध : सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु-सिद्धार्थनगर

गौरा, कलवारी, बस्ती-272301 (उ0प्र0)

तमसो मा ज्योर्तिगमय

महाविद्यालय परिसर

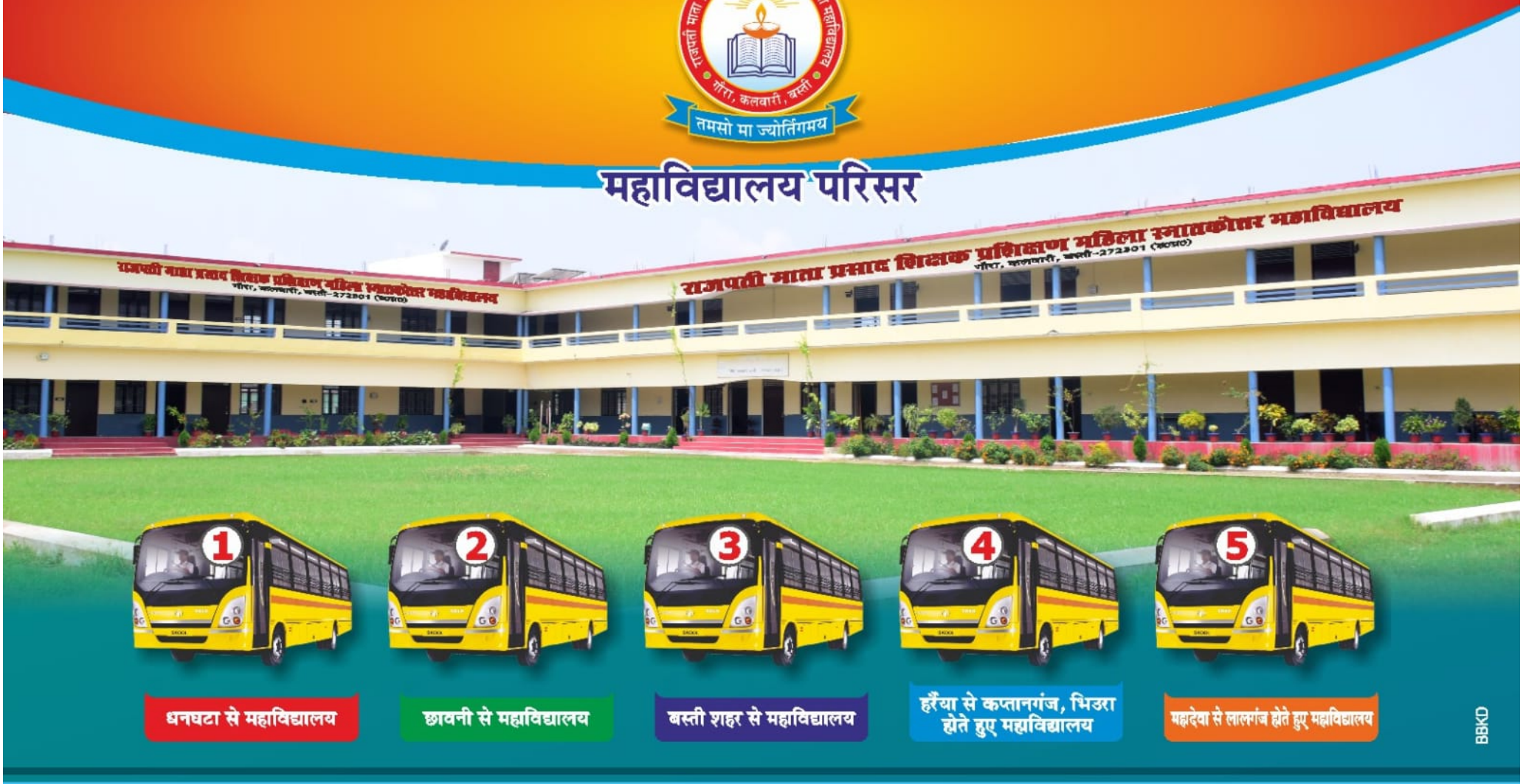

9450488371 | 9628750069 | 9450953102 rmpspm@gmail.com www.rmspm-bastl.in